

1

अदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना सिद्ध
होगा अपेक्षित है।

अदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित
होगा सिद्ध होगा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य
के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा
जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक
साक्षी यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित
कोर्ट न्यायालय की कार्यक्षमता के अन्तर्गत
है तथा साक्ष्य देने में योग्य हो उसका
किएपदन साक्ष्य करने के प्रयोजन से
न बुलाया गया हो, किन्तु किसी दस्तावेज के
किएपदन को साक्ष्य करने के लिए उसे
दिल नहीं है, कोर्ट के आदेश
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16)
के उपबन्धी के अनुसार रजिस्ट्रीकरण
है। किसी अनुप्रमाणक साक्षी को
बुलाना आवश्यक न होगा, जब तक
कि उसके कियेपदन का उपारोधान
उस स्थान होगा जिसमें होगा उसका
कियेपदन होकर वापसित है।
धारा 68 के अन्तर्गत दस्तावेज
को साक्ष्य करने का दवा
नहीं है।

4

शिक्षा अनुसंधान (A+J) विभाग
 शिक्षा के अन्तर्गत आनेवाले हैं और यह
 कहनी है कि उक्त खर्च का दस्तावेज
 साक्ष्य के अभाव में एक नक नहीं
 जारी जायेगी जब तक कि उक्त
 उक्त एक अनुसंधान साक्षी उक्त साक्ष्य
 करने के लिये पेश न किया जाय
 ही यदि कोई अनुसंधान साक्षी
 अधिकतम 5 और न्यायालय की
 आदेशिका के अधीन है। जहां तक
 उक्त खर्च की कोई दस्तावेज
 साक्ष्य में पेश की जाती है।
 और उक्त निष्पादन धारा 70
 के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं होगा
 किंतु उक्त नक उक्त एक
 अनुसंधान साक्षी का उक्त
 निष्पादन की साक्ष्य करने के हेतु
 प्रमाणित जाया जायेगा है।
 दस्तावेज का निष्पादन
 साक्ष्य करने आयेगा है।